न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 14/2015

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

तारीख रजू:– 26.02.2015

R.A.S.

1.	चेतराम उर्फ पप्पू	पिसरान स्व0 लक्ष्मण	जातियान माली
2.	महेश		
3.	दिनेश		निवासीयान केशवपुरा हिण्डौन
4.	छिंगा		
5.	दामोदर	पिसरान स्व0रामखिलाडी	
6.	छोटेलाल		जिला करौली
7.	श्याम	पिसरान स्व0 कलुआ	
8.	हुलासी		
9.	ओमी		
10.	रूरमल		———— सायलान

बनाम

1. जिला कलक्टर जिला करौली राजस्थान
2. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग, करौली
4. सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग हिण्डौन ———— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री संजय कुमार शर्मा एडवोकेट सायलान

2. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट गैरसायल सं.3,4

निर्णय

दिनांक :– 12-8-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने गैरसायलान के खिलाफ अदालत हाजा में दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती घोषणा खातेदारी व स्थायी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अधोहस्ताक्षरी का पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि सायलान रूग्गा पुत्र घूडया जाति माली निवासी मालीपाडा, केशवपुरा हिण्डौन की संतति हैं, जिसका नजरा खानदान अंकित किया है, जिसमें रूग्गा पुत्र घूडया (फौत) के एक लडका कलुआ (फौत), तथा कलुआ (फौत) के 6 लडके लक्ष्मण(फौत), रामखिलाडी (फौत), श्याम, हुलासी, ओमी, रूरमल हैं तथा लक्ष्मण (फौत) के चार लडके चेतराम उर्फ चम्पू, महेश, दिनेश, छिंगा हैं तथा रामखिलाडी (फौत) के दो लडके दामोदर व छोटेलाल हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 3867 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 3877 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में स्थित है। यह भूमि मुताविक राजस्व रिकार्ड सायलान के पूर्वज रूग्गा पुत्र घूडया जाति माली निवासी हिण्डौन सिटी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र महकमा जिलेदारी में थी, जो माफिक हुकम तारीख .3.05. 1945 माफिक कैफियत निजामत दिनांक 30.03.1946 के अनुसार खसरा नम्बर 3867 तथा खसरा नम्बर 3877, 35/–रूपया फी बीघा नजराने पर सायलान के पूर्वज रूग्गा बल्द घूडया जाति माली निवासी हिण्डौन की खातेदारी में रही है। जिसका राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्बत् 2000, 2001, 2002 के कॉलम नं08 के अनुसार सायलान के पूर्वज रूग्गा बल्द घूडया माली के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। सायलान के पूर्वज रूग्गा ने नजराना राशि तहसील हिण्डौन में जमा करायी है। राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्बत् 2012 से 2019 तक में भी सायलान के पूर्वज रूग्गा बल्द घूडया का नाम दर्ज है तथा उसे पूर्व सम्बत् 2000, 2001, 2002 मुताविक सन् 1943 से 1946 में सायलान के पूर्वज रूग्गा बल्द घूडया खातेदार दर्ज है तथा रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2013–16 तथा जमाबन्दी सं0

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

2017–20 के अनुसार सायलान के पूर्वज रूग्गा पुत्र घडया जाति माली निवासी हिण्डौन की खातेदारी में दर्ज होती चली आ रही है। इस प्रकार विवादित भूमि मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र पर सायलान के पूर्वज रूग्गा सन् 1947 के पूर्व से मुश्तकिल तौर पर खातेदार काश्तकार रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि उक्त भूमि में सायलान के पूर्वज रूग्गा पुत्र घूडया ने सन् 1947 के पूर्व से पुख्ता मकान रिहायश हेतु निर्माण कर रखा है, जिसमें सायलान अपने पूर्वज रूग्गा के जमाने से रिहायश करते चले आ रहे हैं। जिसमें सायलान के नाम से बिजली कनैक्शन भी लगा हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि उक्त भूमि मुतजिका मद नं0 3 प्रार्थना पत्र कभी भी पानी के भराव में नहीं रही और ना ही कोई पेटा तालाबी रही। बल्कि हमेशा से काश्तकारी की भूमि रही है, जिसे सायलान नें अपने पूर्वजों के जमाने से लगातार रूप से गैरसायलान की जानकारी में काश्त करते चले आ रहे हैं। जिसका सायलान हर वर्ष लगान अदा करते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि सायलान का पूर्वज रूग्गा फौत हो चुका है। जिसका लडका कलुआ सन् 1985 के आस पास फौत हो चुका है। उसका लडका लक्ष्मण सन् 2000 के आस पास फौत हो चुका है। जिसके कानूनी वारिसान सायल नं01 लगायत 4 हैं, कलुआ का दूसरा लडका रामखिलाडी दिनांक 14.03.2013 को फौत हो चुका है, उसके कानूनी वारिस ायल नं0 5 व 6 हैं तथा कलुआ के अन्य वारिसान सायल नं0 7 ता 10 हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि जमाबन्दी सं0 2017–2020 तक के राजस्व रिकार्ड में सिंचाई विाागा का रकबा 269 बीघा 10 बिस्वा था, लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग ने एक्जिस्टिंग इन्द्राजात में अनाधिकृत रूप से गुपचुप पोशीदा तरीके से सायलान के कब्जा काश्त की भूमि मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र सायलान की खातेदारी को समाप्त करते हुए सायलान को बिना सुने सिंचाई विभाग के हक में दर्ज कर दी तथा सिंचाई विभाग का राजस्व रिकार्ड 269 बीघा 10 बिस्वा से बढाकर जमाबन्दी सम्बत् 2021–24 तक के राजस्व रिकार्ड में 538

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बीघा 17 बिस्वा दर्ज कर दिया, जिसमें सायलान की खातेदारी की भूमि मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 3867 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 3877 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा सायलान की खातेदारी से हटाकर सिंचाई विभाग की खातेदारी में सायलान को बिना सुने गुपचुप तरीके से दर्ज कर दिया। जिसमें सायलान के हकूकों पर हक तलफी होती है तथा सायलान के अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि बन्दोवस्त अधिकारीगण ने सायलान की खातेदारी की भूमि मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 3867 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 3877 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बरान मुताविक मिलान क्षेत्रफल 4813 तथा 4811 कायम कर दिये है और किस्म जमीन पेटा तालाबी कतई रूप से दर्ज कर दी है, जबकि इस भूमि में कभी भी पानी का भराव नहीं रहा, ना ही कभी सिंचाई विभाग के काम आयी । ना ही पेटा तालाबी रही। जबकि सम्बत् 2017–20 से पूर्व के राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि सायलान की कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है। जिसका सरकारी लगान सायलान ही अदा करते हैं। सायलान ने इस साल सम्बत् 2071 की रवि की फसल में सरसों व गैहूँ काश्त कर दिया है। जिसकी सार संभाल सायलान ही करते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि तहसीलदार हिण्डौन ने वमुकदमा नं0 320/88 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत सायलान के पिता कलुआ के खिलाफ कार्यवाही की। जिसे तहसीलदार हिण्डौन ने राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.6(39) राज. 14/85/17 जयपुर दिनांक 03.08.1987 के मुताविक अप्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं किया जा सकता, के निर्देश के साथ धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप कर दी।

प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि तहसीलदार हिण्डौन ने सायलान के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 4813 व 4811 में स्थित पुख्ता मकानात को सायलान को बिना सुने अवैध रूप से कार्यवाही करने अपनी एक्जीक्यूटिव फोर्स के बल पर दिनांक 07.03.2013 को तोड दिया। जिसके

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

में सायल सं05 व 6 के पिता रामखिलाडी का देहान्त हो गया तथा सायलान को 20 लाख रूपये का नुकसान हो गया।

प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि सायलान को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर पता चला कि गैरसायलान ने अवैध रूप से सम्बत् 2021– 24 के राजस्व रिकार्ड में सायलान के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि के खातेदारी इन्द्राजात समाप्त कर दिये हैं तथा सायलान की खातेदारी की भूमि को सिंचाई विभाग की खातेदारी में दर्ज कर दिया है, जिसको सही कराने के लिए सायलान् ने दिनांक 09.02.2015 को पटवारी हल्का/ तहसीलदार हिण्डौन एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा कि राजस्व रिकार्ड सही कराओ तो गैरसायलान इंकार हो गये और सायलान को अपनी एक्जीक्यूटिव फोर्स से बेदखल करने की ऐलानियॉ धमकी दी हे। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा एवं दावा हाजा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा दायर करना लाजिम आया।

प्रार्थना पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि सायलान विवादित भूमि मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र पर सम्बत् 2008 से लगातार रूप से काबिज चले आ रहे हैं। धारा 63 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत भी गैरसायलान को सायलान से कब्जा वापिस लेने की म्याद भी समाप्त हो चुकी है। इसलिए लौंग टर्म पजेशन एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर सायलान, विवादित भूमि की खातेदारी अपने हक में करा पाने के अधिकारी हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं014 में दर्ज किया है कि उक्त परिस्थितियों में सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन तथा अतुल्य क्षति का सिद्धांत बखूबी साबित है तथा गैरसायलान को जरिये टी.आई. आदेश पाबन्द करना निहायत ही जरूरी है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति इन टर्मस ऑफ मनी भी पूर्ण नहीं हो पायेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायलान ना तो स्वंय और ना ही अपनी एक्जीक्यूटिव फोर्स से सायलान के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र साबिक खसरा नम्बरान 3867, 3877 कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 4813, 4811 वाके कस्बा हिण्डौन कायम किये हैं के किसी भी भाग से सायलान को बेदखल नहीं करें तथा तहसीलदार हिण्डौन को इस अमर के लिए पाबन्द किया जावे कि उक्त भूमियों के बाबत् धारा 90 ए व 91 राज0लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं करें। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं01 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित आये किन्तु गैरसायल सं01 व 2 की ओर से कोई जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया तथा गैरसायल सं03 व 4 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 में सायलान की ओर से निराधार तथ्यों के आधार पर दावा पेश करना मात्र स्वीकार है, परन्तु उसमें सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं03 में विवादित भूमि के खसरा नम्बर व रकबा का दर्ज होना तो स्वीकार है, शेष अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं04 में भूमि महकमा जिलेदारी की होना स्वीकार है, शेष स्वीकार नहीं है। क्योंकि सायलान के पूर्वज रूग्गा पुत्र घूडया उक्त विवादित भूमि के कभी भी खातेदार काश्तकार नहीं रहे हैं। उक्त भूमि जल भराव की भूमि है, जिसकी खातेदारी महकमा जिलेदारी (सिंचाई विभाग) के नाम थी और वर्तमान में भी उक्त भूमि सिंचाई विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05 स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं06 अस्वीकार है क्योंकि उक्त विवादित भूमि जल भराव व तलाब पेटा की भूमि है, काश्तकारी की भूमि नहीं है। शुरू से ही उक्त भूमि तलाब पेटा की भूमि रही है और है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं07 में दर्ज वारिसान का इल्म नहीं होने के कारण अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं08 अस्वीकार है क्योंकि उक्त विवादित भूमि सिंचाई विभाग की खातेदारी की भूमि है, जो जल भराव की भूमि है, भू–प्रबन्ध अधिकारीगण ने राजस्व रिकार्ड में कोई हेरा फेरी नहीं की है, जल भराव, जल निकासी, जल प्रवाह की भूमि, तलाब पेटे, नदी पेटे, पोखर पेटे, झील पेटे आदि की भूमियॉ सरकारी सिंचाई विभाग की भूमि हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं09 स्वीकार नहीं है क्योंकि उक्त भूमि तालाबी पेटे व जल भराव की भूमि है, जो सिंचाई विभाग के कब्जा व स्वामित्व की भूमि है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं010 स्वीकार नहीं है क्योंकि सायलान के पिता अतिक्रमी रहे हैं। सायलन का उक्त विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं011 अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीगण ने सायलान के साथ किसी भी प्रकार की एक्जीक्यूटिव फोर्स का उपयोग नहीं किया।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं012 स्वीकार नहीं है,क्योंकि सायलान से तथाकथित दिनांक को गैरसायलान की कोई किसी भी प्रकार की भूमि सम्बन्धी बात नहीं हुई। मनगढंत झूंठी कहानी है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं013 अस्वीकार है क्योंकि उक्त विवादित भूमि सिंचाई विभाग के कब्जा व खातेदारी की भूमि है, जिस पर धारा 63 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं014 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं014 अस्वीकार है। सायलान के हक में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अतुल्य क्षति का सिद्धान्त साबित नहीं है ना ही सायलान को कोई क्षति है जबकि गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें बमुकाबले सायलान अत्यधिक क्षति है, जिसकी पूर्ति किसी द्रव्य में सम्भव नहीं है।

विशेष विवरण :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं015 में दर्ज किया है कि दावा व प्रार्थना पत्र हाजा सरकार के खिलाफ दर्ज करने से पूर्व अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना कानूनी तौर पर अत्यन्त आवश्यक है जो सायलान ने नहीं दिया, के अभाव में दावा व प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं016 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र हाजा अन्दर मियाद में नहीं होने के कारण काबिले खारिज योग्य है, क्योंकि प्रार्थना पत्र हाजा के मद नं010 व 11 में उक्त विवादित भूमि के इल्म के समय की सीमा अंकित हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं017 में दर्ज किया है कि उक्त विवादित भूमि हिण्डौन नगर के प्रसिद्ध तालाब जलसैन पेटे की भूमि है, जो सैंकडों साल पुराना तालाब है, उक्त भूमि की खातेदारी हमेशा से ही महकमा जिलेदारी (सिंचाई विभाग) की भूमि रही है और वर्तमान में है जो हमेशा से लोक प्रयोजन एवं उपयोग के लिए है। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत सायलान उक्त विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार नहीं है, इसी स्टेज पर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं018 में दर्ज किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय बउनवानी अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के तहत भी प्रार्थना पत्र सायलान काबिले खारिज योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं019 में दर्ज किया है कि उक्त विवादित भूमि पर सायलान का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और ना ही खातेदारी सायलान के नाम रही। खातेदारी हमेशा सिंचाई विभाग के नाम रही है और वर्तमान में भी उक्त विवादित भूमि गैरसायल सं0 3 व 4 के स्वामित्व व स्वत्व की भूमि है। सायलान का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं0 2000 लगायत 2003, फोटो प्रति नकल खतौनी बन्दोवस्त सम्बत् 2000, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2008 –2011, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2017–20, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2013 –16, फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2012–19, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70, फोटो प्रति नकल न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन मुकदमा नं0 320/88 उनवानी सरकार बनाम कलुआ अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट निर्णय दिनांक 23.09.1988, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2021–24, फोटो प्रति नकल नक्शा सीट साबिक नम्बरान, फोटो प्रति जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड का विधुत बिल श्री दामोदर लाल छोटेलाल पुत्र रामखिलाडी निवासी मुस्लिम शाह कोलोनी एवं तेजराम माली पुत्र लक्ष्मण माली निवासी खादर बाला कुआ करौली रोड, हिण्डौन के नाम हैं, फोटो प्रति पेनल्टी की रसीद किता–14, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2017–21 पेश की हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायल सं.3 व 4 ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2037–40 पेश की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायल नं03 व 4 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान से निम्नानुसार नवीन नम्बरान कायम किये गये हैं :–

साबिक ख0नं0	रकबा	हाल ख0नं0	रकबा
3867 3868	4 बीघा 4 बिस्वा 8 बिस्वा	4813	1.25 है0
3876 मिन 3877 मिन	7 बिस्वा 2 बीघा 5 बिस्वा	4811	0.66 है0

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं0 2000 लगायत 2003 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 3867 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, 3868 रकबा 8 बिस्वा, 3876 रकबा 7 बिस्वा , 3877 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम हिण्डौन में काश्तकार के कॉलम में रूग्गा बल्द घूडया माली के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल खतौनी बन्दोवस्त सम्बत् 2000 लगायत 2019 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 3867 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, 3868 रकबा 8 बिस्वा, 3876 रकबा 7 बिस्वा , 3877 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम हिण्डौन की खातेदारी जिलेदारी मजकूर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2013–16 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 3867 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, 3877 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम हिण्डौन की खातेदारी रूग्गा पुत्र घूडया जाति माली निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2017–20 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 3867 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, 3877 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम हिण्डौन की खातेदारी रूग्गा पुत्र घूडया जाति माली निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2012–19 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 3867 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा में काश्तकार के कॉलम में रूग्गा बल्द घूडया जाति माली के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा रूग्गा के द्वारा उक्त अवधि में काश्त किया जाना साबित है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 4811 रकबा 0.66 है0, 4813 रकबा 1.25 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी सिंचाई विभाग राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन मुकदमा नं0 320/88 उनवानी सरकार बनाम कलुआ अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट निर्णय दिनांक 23.09.1988 में अंकित है कि पत्रावली पेश हुई, अप्रार्थी के वकील उपस्थित मामले का अवलोकन किया पटवारी कस्बा हिण्डौन की रिपोर्ट है कि रवि सम्बत् 2044 में अप्रार्थी जो कलुवा पुत्र रूग्गा माली हिण्डौन द्वारा पेटा तालाब की आराजी खसरा नम्बर 3865 लगायत 3877 व 3880 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा में गोचनी, गैहूँ, सरसों काश्त कर जबाव में बजमाने बुजुर्ग से कब्जा काश्त होना अंकित किया है, पुष्टि में फोटो कोपी रसीदात लगान व खसरा गिरदावरी सं0 2012 लगायत 2019 एवं निर्णय जिला कलक्टर महोदय, सवाईमाधोपुर दिनांक 07.12.59 की फोटो कोपी पेश की जो शामिल है, अप्रार्थी का कब्जा काश्त बरूए रिकार्ड पुराना है। अतः राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.6(39) राज.14/85/17 जयपुर दिनांक 03.08.87 के मुताविक अप्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति कार्यवाही धारा 91 एल.आर.एक्ट ड्रोप की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जाती है, मामला दर्ज से कम हो व पटवारी को लगान वसूल करने हेतु सूचित किया जाकर पत्रावली बाद तामील तकमील दा0दफ्तर हो।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2021–24 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 3867 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, 3877 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कस्बा हिण्डौन की खातेदारी महकमा इर्रीगेशन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड का विधुत बिल श्री दामोदर लाल छोटेलाल पुत्र रामखिलाडी निवासी मुस्लिम शाह कोलोनी एवं तेजराम माली पुत्र लक्ष्मण माली निवासी खादर बाला कुआ करौली रोड, हिण्डौन के नाम से जारी किये हुए हैं।

फोटो प्रति पेनल्टी की रसीद किता–14 पेश की है, जिनके अनुसार सायलान का उक्त विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त होना प्रतीत होता है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2017–21 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 3867 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, 3877 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कस्बा हिण्डौन की खातेदारी महकमा इर्रीगेशन के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं रही हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायल नं0 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं0 2037–40 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 3867 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, 3877 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कस्बा हिण्डौन की खातेदारी सिंचाई विभाग इर्रीगेशन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 3867 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, 3877 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कस्बा हिण्डौन की खातेदारी सं0 2013–16 एवं 2017–20 में रूग्गा पुत्र घूडया जाति माली निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो सायलान के पूर्वज हैं। न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन ने मुकदमा नं0 320/88 उनवानी सरकार बनाम कलुआ अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट निर्णय दिनांक 23.09.1988 में यह माना है कि सम्बत् 2044 में अप्रार्थी जो कलुवा पुत्र रूग्गा माली हिण्डौन द्वारा पेटा तालाब की आराजी खसरा नम्बर 3865 लगायत 3877 व 3880 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

में गोचनी, गैहूँ, सरसों काश्त कर जबाव में बजमाने बुजुर्ग से कब्जा काश्त होना अंकित किया है, पुष्टि में फोटो कोपी रसीदात लगान व खसरा गिरदावरी सं0 2012 लगायत 2019 एवं निर्णय जिला कलक्टर महोदय, सवाईमाधोपुर दिनांक 07.12.59 की फोटो कोपी पेश की जो शामिल है, अप्रार्थी का कब्जा काश्त बरूए रिकार्ड पुराना है। अतः राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.6(39) राज.14/85/17 जयपुर दिनांक 03.08.87 के मुताविक अप्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति कार्यवाही धारा 91 एल.आर.एक्ट ड्रोप की जाती है, मामला दर्ज से कम हो व पटवारी को लगान वसूल करने हेतु सूचित किया जावे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 3867 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, 3877 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कस्बा हिण्डौन जिसके हाल खसरा नम्बर 4811 रकबा 0.66 है0, 4813 रकबा 1.25 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन कायम किये गये हैं पर सायलान सम्बत् 2013 से पूर्व से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। ऐसी स्थिति में उक्त विवादित आराजीयात से सायलान को बेदखल किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर सम्बत् 2013 से 20 तक उक्त विवादित आराजीयात उनकी खातेदारी में रहना तथा उक्त विवादित आराजीयात पर बदस्तूर कब्जा काश्त होने के कारण सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में नजर आता है, यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द नहीं किया गया तो उससे सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की सम्भावना है। गैरसायल सं03 व 4 उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड खातेदार है, इसलिए पाबन्द किये जाने पर उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है बलिक गैरसायलान को पाबन्द नहीं किये जाने पर सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 4811 रकबा 0.66 है0, 4813 रकबा 1.25 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में सायलान के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें। सायलान को उक्त भूमि से किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं करें। गैरसायलान ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे सायलान के हकू, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 17.8.22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली